न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 220 /2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

01. बंशीलाल पुत्र रूपा जाति माली आयु वयस्क निवासी—करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

——वादी

बनाम

01. बंशीलाल पुत्र रामा जाति माली आयु वयस्क निवासी—करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

02. श्रीमान् तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

——प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92(क),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत् इन्द्राज दूरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश सिंह तंवर ——अधिवक्ता प्रार्थी / वादी
2. एकपक्षीय— ——प्रतिवादी संख्या 01
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 02

दिनांक— 07 / 07 / 2025

::निर्णय::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद बाबत घोषणा का अन्तर्गत धारा 88,89,92—क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 875 में आराजी नम्बर 8166/2668 किता 01 रकबा 1.9349 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसे वादपत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

सेटलमेन्ट से पूर्व बंशीलाल पुत्र रूपा माली के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही थी परन्तु आगे रोटशन में राजस्व कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगती कर वादी को बिना जानकारी के ही शुद्धि पत्र से बंशीलाल पुत्र रामा माली दर्ज कर ली गई जिसका राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोई विधिक हक अधिकारी नहीं था। अतः बंशीलालल पुत्र रूपा माली के स्वयं के खातेदारी होने से वादी इन्द्राज दूरस्ती के दौरान वादग्रस्त आराजियात को पुनः अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाया जाने का अधिकारी है। वादी ने तहसील कार्यालय करेड़ा से पुराना राजस्व रेकॉर्ड निकलवाया तो वादी की जानकारी में आया कि उक्त भूमि कर्मचारियों की आपसी मिलीभगत से बंशीलाल पुत्र रूपा माली के बजाय बंशी लाल पुत्र रामा माली के नाम शुद्धिपत्र से दर्ज कर दी। उक्त आराजी नम्बर 8166/2668 वर्तमान जमाबन्दी एवं राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जबकि उक्त आराजी से प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि उक्त आराजी हमारे नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है जिसे खाली कर कब्जा हमारे को सिपुर्द कर देवें अन्यथा हम उक्त आराजी को अन्य व्यक्तियों को रहन, बय बख्शिश द्वारा अन्तरण कर देगें एवं आपको मौके से बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लेगें। प्रतिवादी ने वादी के साथ गाली गलौच की और धमकिया दी की उक्त जमीन को हम ताकत के बल पर हड़प लेगें और मारपीट करने पर आमादा है इस कारण से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्रि से पाबंद किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रतिवादी उक्त आराजी को न तो स्वयं खुर्द—बुर्द करे ना ही किसी अन्य से खुर्द—बुर्द करावे एवं राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें इस बाबत् प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावें। प्रतिवादी वादी से नाजायज रंजिश रखते है प्रतिवादी वादी को उपरोक्त विवादित आराजी से बेदखल करने के लिए दिनांक 05.07.2023 को मौके पर आये और गाली गलौच की व लड़ाई—झगड़ा करने लगे एवं मारपीट करने पर उतारू है व वादी को धमकी दी कि उक्त आराजी जो कि हमारे नाम पर दर्ज है, को खाली कर देना अन्यथा बेदखल कर उक्त आराजी को खुर्द—बुर्द कर देगें। इस प्रकार वादी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर यह वादपत्र अविलम्ब प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण उक्त दिनांक 05.07.2023 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा वादपत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये व वादी द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये दस्तावेजात प्रर्दश किये गये। वादी द्वारा प्रकरण में जमाबन्दी नकले व राजस्व रेकॉर्ड के दस्तावेजात पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई, अधिवक्ता वादी ने दोराने बहस वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जो कि वादी द्वारा प्रतिवादी सख्या 01 के नाम पर गलत तौर पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 के खाते से भूमि कम कर भूमि वादी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

मैने वादी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम पर दर्ज नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर गलत तौर पर दर्ज हुआ हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के खाते से कम कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

सरहद ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 875 में आराजी नम्बर 8166/2668 किता 01 रकबा 1.9349 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित कर, प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 8166/2668 किता 01 रकबा 1.9349 हैक्टयर भूमि में से वादी के नाम राजस्व रिकोर्ड मे खातेदारी हक अधिकार से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस कदर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात मे वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान आदि नहीं करें व वादी को शांतिपूर्वक ढ़ंग से उपयोग उपभोग करने देवें।इस निर्णय की पालना में तहसीलदार को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर ए एस
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)